कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना

का.आ.सं. हि.अ./ले.प./राजपत्र अधि./46/2022-23/14 दिनांक: 07.12.2022

कार्यालय आदेश

मुख्यालय से प्राप्त पत्र संख्या 703/रा.भा.अ/06-2022 दिनांक : 21/11/2022 द्वारा प्राप्त भारत का राजपत्र, नई दिल्ली, नवंबर -15, 2022 जिसमें वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) नई दिल्ली, 22 अगस्त 2022 का. आ. 954 द्वारा राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम-(4) के अंतर्गत इस कार्यालय को अधिसूचित किया गया है, सभी अधिकारियों /कर्मचारियों के सूचनार्थ परिचालित की जाती है।

संलग्नक :यथोपरि।

हस्ता0/-

उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. सचिव महालेखाकार, कृपया इसे कार्यालय की स्थायी आदेश वाली गार्ड फाइल में संरक्षित किया जा सकता है तथा इसकी फोटो फ्रेम कराकर उचित स्थान पर लगाई जा सकती है ।
2. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन कृपया इसे गार्ड फाइल में संरक्षित किया जा सकता है
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ ए. एम. एस- कृपया कार्यालय वेबसाईट पर इसे अपलोड किया जा सकता है ।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी /सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी सभी अनुभाग ।
5. सूचना पट्ट ।

07/12/2022

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी /हिन्दी

पत्र संख्या 703/ रा.भा.अ./06-2022

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10, बहादुरशाह ज़फर मार्ग,
नई दिल्ली-110 124

OFFICE OF THE COMPTROLLER &
AUDITOR GENERAL OF INDIA
10, BAHADUR SHAH ZAFAR MARG,
NEW DELHI - 110 124

दिनांक / DATE 21/11/2022

T. No. 1895
CAG (H)-46

सेवा में,

महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
बिहार,
वीरचन्द पटेल मार्ग,
पटना-800001

Dy. No. 146
Sr. D.A.G. (Admin) Sectt.
Date 30.11.22

विषय:- राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अन्तर्गत कार्यालय को अधिसूचित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपके पत्र संख्या सं.हि./ले.प./राजपत्र अधि./46/2021-22/167 दिनांक 02/09/2021 का अवलोकन करें। जिसमें कार्यालय को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित करने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में मंत्रालय ने सूचित किया है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त पत्र संख्या ए-12034/02/2021-ई.जी. दिनांक 15/11/2022 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा आपके कार्यालय को अधिसूचित कर दिया है। अत: आपसे अनुरोध है कि राजभाषा विभाग 1976 के नियम 10(4) के अन्तर्गत मंत्रालय/भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संबंधित दस्तावेज को भविष्य में कृपया नष्ट ना करने का श्रम करें।

2. **मद संख्या 1(2):** प्रश्नावली में दी गई सूचना के अनुसार नियम 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित 'हाँ' में दर्शाये जाने उपरान्त कार्यालय में नियम 8(4) के अन्तर्गत प्रतिवर्ष आदेश जारी किया जाना अनिवार्य है। कृपया मुख्यालय के परिपत्र संख्या 902-रा.भा.अ./2/2013-14 दिनांक 31.10.2013 (प्रतिलिपि संलग्न) के तहत राजभाषा नियम 1976 के नियम 8(4) के अन्तर्गत कार्यालय में अपने स्तर पर प्रतिवर्ष आवश्यक रूप से जारी किये जाने वाला आदेश को जारी करना सुनिश्चित किये जाने की व्यवस्था करें।

यह प्रत्र महानिदेशक (राजभाषा) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

अनिल
21/11/2022

वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (राजभाषा)

संलग्न: अधिसूचना की प्रति

सं०- ऐ- 12034/02/2021- ई.जी.

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली,
दिनांक - 15/11/2022

सेवा में,

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय,
{ ध्यानकर्षण :- श्री अनिल },
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (राजभाषा),
9, दीन दयाल उपाध्याया मार्ग, नई दिल्ली – 110023 ।

विषय:- राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 (4) के अंतर्गत कार्यालय को अधिसूचित किए जाने के संदर्भ में ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त विषय पर भारत सरकार के निम्नलिखित कार्यालयों को अधिसूचित करने के लिए भारत सरकार मुद्राणालय,माया पुरी को भेजी थी जो कि भारत के राजपत्र **सं० (का. आ.- 954) दिनांक 22, अगस्त, 2022 (संलग्न)** को प्राधिकार से प्रकाशित हो गयी है ।

(i) प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), चेन्नई, शाखा कार्यालय कोच्ची ।
(ii) प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा), दिल्ली, नई दिल्ली ।
(iii) प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन), नई दिल्ली ।
(iv) महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना ।

2. प्राधिकार से प्रकाशित भारत के राजपत्र की एक स्वच्छ प्रति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सूचनार्थ भेजी जा रही है ।

सूचना संबंधित कार्यालयों को सम्यानुसार सूचित करें।

अनिल
16/11/2022

भवदीय

मनोज
15/11/2022
मनोज कुमार
अनुभाग अधिकारी

(क) क्षेत्र एवं (ग) क्षेत्र

43/रा.भा.अ.
/11/22

रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-29102022-239939
CG-DL-W-29102022-239939

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 41] नई दिल्ली, अक्तूबर 9—अक्तूबर 15, 2022, शनिवार/ आश्विन 17—आश्विन 23, 1944

No. 41] NEW DELHI, OCTOBER 9—OCTOBER 15, 2022, SATURDAY/ASVINA 17—ASVINA 23, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय
(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2022

का.आ. 954.—राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में भारत सरकार के निम्नलिखित कार्यालय जिसमें अस्सी प्रतिशत कर्मचारियों ने हिन्दी कार्यसाधक का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतदद्वारा अधिसूचित करती है, अर्थात:-

1. प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) कार्यालय, चेन्नई, शाखा कार्यालय कोच्ची ।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय, दिल्ली, नई दिल्ली ।
3. प्रधान महालेखापरीक्षा कार्यालय (कृषि, खाद्य और जल संसाधन) नई दिल्ली ।
4. महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय, बिहार, पटना ।

[फा. सं. ए.– 12034/02/2021- ईजी]

ऐनी जॉर्ज मैथ्यू , विशेष सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 22nd August, 2022

S.O. 954.— In pursuance of sub – rule (4) of rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices of the Government of India in the Indian Audit and Accounts Department, in which eighty per cent. of the staff have acquired the working knowledge of Hindi, namely :-

1. Office of the Principal Director of Audit (Central) Chennai, Branch Office Kochi.
2. Office of the Principal Accountant General (Audit) Delhi, New Delhi.
3. Office of the Principal Director of Audit (Agriculture, Food and Water Resources), New Delhi.
4. Office of the Accountant General (Audit), Bihar, Patna.

[F. No. A-12034/02/2021-EG]

ANNIE GEORGE MATHEW, Addl. Secy.

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2022

का.आ. 955.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा, श्री संजीव कौशिक के स्थान पर डॉ. एम. पी. तन्गिराला (अपर सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग) को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, इंडियन बैंक के बोर्ड में निदेशक नामित करती है।

[ईफा. सं. 6/2/2022-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 14th September, 2022

S.O. 955.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government hereby nominates Dr M. P. Tangirala (Additional Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services) as Director on the Board of Indian Bank, with immediate effect and until further orders, *vice* Shri Sanjeev Kaushik.

[eF. No. 6/2/2022-BO.I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2022

का.आ. 956.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, केनरा बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री देबाशीष मुखर्जी (जन्म तिथिः 9.5.1965) की केनरा बैंक के कार्यपालक निदेशक के पद की वर्तमान अधिसूचित अवधि, जो दिनांक 18.2.2023 को समाप्त हो रही है के पश्चात उनकी अधिवर्षिता की तिथि अर्थात दिनांक 31.5.2025 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, केनरा बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर पुनर्नियुक्त करती है।

[ईफा. सं. 4/5/2017-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव